निर्णय बईजलास अजय सिंह राठौड़ आई0ए0एस0 जिला कलक्टर, झालावाड़

मि0न0 69 / प्रा0पत्र / 23 तारीख दायरा 06.07.2023

उनवान प्रा0पत्र

राज0 सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक
जिला रसद कार्यालय झालावाड़ प्रार्थी

बनाम

श्री राजेश गर्ग आ0 बुद्धिप्रकाश
निवासी मेला मैदान, भवानी मण्डी, तहसील पचपहाड़
जिला झालावाड़, अप्रार्थी

प्रा0अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 के तहत जब्त 04 घरेलू गैस सिलेण्डर, 01 विधुत मोटर को राजसात करने बाबत।

उपस्थितः– पेरोकार रसद

श्री द्वारकालाल गुप्ता अभिभाषक अप्रार्थी

–: निर्णय :– दिनांकः 22.05.2024

यह प्रा0पत्र प्रर्वतन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय झालावाड़ द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत पेश किया गया है। प्रा0पत्र मेंमों में निवेदन किया है कि दिनांकः 23.06.2023 को जिला रसद कार्यालय के प्रर्वतन स्टाफ मौका स्थल पर पहुंचे जंहा घरेलू गैस सिलेंडर का दुरूपयोग एवं अवैध रूप से भण्डारण किया जाना प्रतीत होना पाया गया। मौके पर अप्रार्थी श्री राजेश गर्ग उपस्थित मिले। वक्त जांच तलाशी लेने पर 04 घरेलू बीपीसीएल कम्पनी के एलपीजी सिलेण्डर एवं 01 विधुत मोटर का भण्डारण होना पाया गया। जिस हेतु स्पष्टीकरण की मांग करने पर भण्डारण संबंधित किसी भी तरह का वैद्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। जब्त 04 बीपीसीएल कंपनी के घरेलु गैस सिलेण्डर एवं 01 विधुत मोटर को मेसर्स ऋषभ गैस सर्विसेज, भवानीमण्डी के प्रबंधक श्री सचिन जैन नि0 भवानीमंडी की सुपुर्दगी में दिये गये। फर्द मौका जब्ती एवं सुपुर्दगीनामा मौके पर अलग से बनाया गया। अनुदानित घरेलू गैस का अवैध उपयोग करके LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लाज 3(1) (सी), 4(1)(सी) की स्पष्ट अवहेलना की है। आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 की धारा 6 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जप्तशुदा उक्त सामग्री को राजसात करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रा0पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु तलब किया गया अप्रार्थी की ओर से वकील श्री द्वारकालाल गुप्ता ने वकालतनामा मय जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब को दोहराते हुए दौराने बहस बताया कि प्राथी के दो घरेलु गैस कनेक्शन है जो क्रमश एक अप्रार्थी के पिता के नाम एवं दूसरा अप्रार्थी के पत्नी के नाम है जिसके संबन्धित दस्तावेज भी प्रस्तुत किये है। पेरोकार रसद द्वारा दौराने बहस व्यक्त किया कि प्रवर्तन स्टाफ घरेलू गैस सिलेंडरों व अन्य सामग्री के अवैध व्यवसायिक उपयोग रोकने के लिये जांच हेतु मौका स्थल पर पंहुचे। वक्त जांच तलाशी लेने पर 04 घरेलू बीपीसीएल कम्पनी के एलपीजी सिलेण्डर एवं 01 विधुत मोटर का भण्डारण होना पाया गया। जिस हेतु मांग

जिला कलक्टर झालावाड़

करने पर भण्डारण संबंधित किसी भी तरह का वैध दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया। अप्रार्थी द्वारा सिलेण्डर का अवैध व्यवसायिक उपयोग करके LPG(REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लाज 3(1) (सी), 4(1) (सी) की स्पष्ट अवहेलना की है। आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 की धारा 6 ए के तहत अभिग्रहित सामान को राजसात किया जावे।

हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया व बहस उभयपक्ष पर मनन किया। प्रवर्तन स्टाफ द्वारा अप्रार्थी के यहां की गई कार्यवाही के दौरान तलाशी लेने पर 04 घरेलू बीपीसीएल कम्पनी के एलपीजी सिलेण्डर, 01 विधुत मोटर का भण्डारण होना पाया गया। जिस हेतु मांग करने पर भण्डारण संबंधी किसी भी तरह का वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि घरेलु गैस सिलेण्डर घरेलू उपभोक्ताओं के उपयोग के लिये है, दौराने तलाशी 04 गैस सिलेण्डर के साथ 01 विधुत मोटर का मिलना यह जाहिर करता है कि अप्रार्थी घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध व्यवसायिक उपयोग करता है। अप्रार्थी द्वारा बिना किसी वैध दस्तावेज के 04 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं विधुतचलित मोटर को रखना घरेलू गैस सिलण्डर का अवैध रूप से दुरूपयोग करने की श्रेणी में आता है तथा अप्रार्थी जप्तशुदा 04 सिलेण्डरों के अलावा रोजमर्रा रसोई/खाना बनाने के कार्य किस प्रकार करता था स्पष्ट नहीं किया है इस प्रकार यह साबित है कि अप्रार्थी द्वारा अनुदानित घरेलू गैस सिलेण्डर से अवैध रूप से गैस सिलेण्डर से व्यावसायिक कार्य किया जाता है। अप्रार्थी का यह कृत्य LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लाज 3(1) (सी), 4(1)(सी) का स्पष्ट उल्लघंन है। अप्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में कोई ठोस दस्तावजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा 04 घरेल बीपीसीएल कम्पनी के एलपीजी सिलेण्डर, 01 मोटर को राजसात किया जाता है, साथ ही राजसात किये गये गैस सिलेण्डरों को संबंधित तेल/गैस कम्पनी को लोटाये जाने तथा इनको नये जारी होने वाले गैस कनेक्शनों के उपभोक्ताओं को जारी कर इससे प्राप्त राशि को राजकोष में जमा कराये जाने का आदेश दिया जाता है। जब्त विधुत मोटर का विधि द्वारा सुस्थापित प्रकियानुसार निस्तारण किया जावे। निर्णय की प्रति पालनार्थ जिला रसद अधिकारी झालावाड़ को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांकः 22.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजय सिंह राठौड़)
जिला कलेक्टर,
झालावाड़